

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपाल

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 590]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 30 अक्टूबर 2018—कार्तिक 8, शक 1940

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 अक्टूबर 2018

क्र. एफ-3-23-2018-एक-10.—मध्यप्रदेश लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त अधिनियम, 1981 (क्रमांक 37 सन् 1981) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा न्यायमूर्ति श्री सुशील कुमार पालो को दिनांक 27 अक्टूबर 2018 को उपलोकायुक्त, मध्यप्रदेश नियुक्त किया गया।

No. F-3-23-2018-I-10.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Lokayukta Evam Up-Lokayukta Adhiniyam, 1981 (No. 37 of 1981), the Governor of Madhya Pradesh has been pleased to appoint justice Shri Sushil Kumar Palo as Up-Lokayukt, Madhya Pradesh on the 27th October 2018.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धरणेन्द्र कुमार जैन, उपसचिव।